राजस्थान–सरकार

न्यायालय अति0जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

क्रमांकःप0कोर्ट / गुण्डाएक्ट / 03 / 2019 दिनांक

प्रेषितिः–

1– थानाधिकारी
पुलिस थाना, मावली उदयपुर
जिला उदयपुर

2– थानाधिकारी
पुलिस थाना, राजनगर

विषयः– प्रकरण संख्या 03 / 2019 धारा 3(3) राज0गुण्डा एक्ट में न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.04.2019 के अनुसार कार्यवाही करने बाबत।

अनवान

राज्य सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द –: बनाम :– श्री अल्ताफ हुसैन पिता शम्भुशाह मुसलमान निवासी नायकवाडी राजनगर तहसील राजसमन्द

उपरोक्त विषयान्तर्गत गैर सायल श्री अल्ताफ हुसैन पिता शम्भुशाह मुसलमान निवासी नायकवाडी राजनगर तहसील राजसमन्द के विरूद्ध 3(3) राज0गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 01.04.2019 की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर आपको भिजवायी जा रही है । कृपया निर्णयानुसार नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय भिजवावे।

संलग्न :–निर्णय की प्रति

अति0जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

क्रमांकःप0कोर्ट / गुण्डाएक्ट / 03 / 2019 / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1– जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर / राजसमन्द को भी 3(3) राज0गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत पारित निर्णय की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– निर्णय की प्रति

अति0जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(श्री राकेश कुमार, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या :– 3/2019 (गुण्डा एक्ट)
दायर दिनांक :– 28–03–2019
निर्णय दिनांक :– 01–04–2019

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

श्री अल्ताफ हुसैन पिता शम्भुशाह मुसलमान निवासी नायकवाडी राजनगर तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द

———अप्रार्थी,गे0सा0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :–

1. सहायक लोक अभियोजक
2. श्री योगेश कावडिया अधिवक्ता गेरसायल

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांकः– 01–04–2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांकःएफ17/4(7)अअसा/2011/1527 दिनांक 01–03–2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे0सा0 के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । गेरसायल/अप्रार्थी के विरूद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना **राजनगर** में दर्ज हुई है :–

प्र0सं0	जुर्मधारा	नतीजा पुलिस (चालानन)	नतीजा अदालत
184/2017	13 आरपीजीओ एक्ट	चार्जशीट नं. 138/13.07.2017	सजा 24.04.2017
267/2018	13 आरपीजीओ एक्ट	चार्जशीट नं. 172/18.10.2018	सजा 03.12.2018

गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल मय अधिवक्ता उपस्थित । गैर सायल मय अधिवक्ता को दिनांक 01.04.2019 को नोटिस सुनाया गया । गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा जबाब देने से मना किया जाकर सीधे बहस की गई ।

उभय पक्षं की बहस सुनी गई । सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि गैर सायल को 13 आरपीजीओ एक्ट दो प्रकरणों में सजा हुई है। गैर सायल को 13 आरपीजीओ एक्ट कें दोंनों प्रकरणों में दोष सिद्व किया जा चुका है तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत दोष सिद्व कर दण्डित किया गया है । जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है । गैर सायल की आदतों से समाज को खतरा है। अतः गैर सायल को जिला बदर किया जावे ।

गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि मेरे विरूद्व 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्व किया गया है । दोनों प्रकरणों में गैर सायल द्वारा लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया गया है। गैर सायल गुण्डा नहीं हैं, एक साधारण परिवार का गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे कि जन सामान्य की सुरक्षा को खतरा हो और न हीं आदतन अपराधी है। अप्रार्थी के विरूद्व जिन प्रकरणों में कार्यवाही की गई है वे छ माह की अवधि में दोष सिद्व के नही हे। अप्रार्थी के विरूद्वः गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जाकर अप्रार्थी को माफ किया जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । गैर सायल के विरूद्व दो प्रकरण 13 आरपीजीओ एक्ट के दर्ज किये गये है । यदि किसी व्यक्ति के विरूद्व 02 प्रकरणों में दोष सिद्व किया जा चुका है तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है । विपक्षी को 02 प्रकरणों में 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत दण्डित किया गया है। जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है । अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्व कर दण्डित किया गया है । पैरवी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रमाणों से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं । गैर सायल के ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है । गैर सायल को इन आरोपों के बचाव में साक्ष्य एवं प्रमाण पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु गैर सायल ने इसके खण्डन में ऐसा कोई ठोष प्रमाण पेश नहीं किये है, जिससे कि पैरवी पक्ष के प्रस्तुत आरोपों एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणों को न माना जा सके । गेर सायल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल श्री अल्ताफ हुसैन पिता शम्भुशाह मुसलमान निवासी– नायकवाडी पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध होने से इन्हें **दस दिन** के लिए जिला राजसमन्द की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है कि वह बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के **दस दिन** तक जिला राजसमन्द में प्रवेश नहीं करें। जिले से निष्कासन के दौरान गैर सायल प्रत्येक तीन दिवस को पुलिस स्टेशन मावली जिला उदयपुर में अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा। यह आदेश गैर सायल की पुलिस स्टेशन, मावली जिला उदयपुर में प्रथम उपस्थित तिथि से लागू होगा । गैर सायल की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु आदेश की प्रति जिला पुलिस अधिक्षक एवं थानाधिकारी को भेजी जावे।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 01–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द